क्रम-संख्या-178(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०-91/2008-10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 21 मई, 2010

बैशाख 31, 1932 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

परिवहन अनुभाग-1

संख्या 671/तीस-1-2010-5(139)-08

लखनऊ, 21 मई, 2010

अधिसूचना

प० आ०-320

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन राज्यपाल सर्वसाधारण की सूचना के लिए अधिसूचित करते है कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन अर्थात् जिला श्रावस्ती में उ० प्र० राज्य परिवहन निगम बस स्टेशन एवं कार्यशाला भिनगा के निर्माण हेतु आवश्यकता है।

2-चूँकि राज्यपाल की राय है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उक्त भूमि पर लागू होते हैं, क्योकि उक्त भूमि की जिला श्रावस्ती में उ० प्र० राज्य परिवहन निगम बस स्टेशन एवं कार्यशाला भिनगा के निर्माण हेतु आत्यायिक आवश्यकता है और इस आत्यायिकता की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के अधीन जाँच करने में सम्भावित विलम्ब को विवर्जित किया ज़ाय, अतएव, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निदेश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के उपबन्ध लागू नही होंगे।

टिप्पणी-अधिसूचना मे उल्लिखित अनुसूची अंग्रेजी अनुवाद के साथ नीचे दी गयी है।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.671/XXX-1–2010-5 (139)-08, dated May 21, 2010 for general information :

No. 671/XXX-1–2010-5 (139)-08

Dated Lucknow, May 21, 2010

UNDER sub-section (1) of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act no. 1 of 1894), the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below, is needed for a public purpose namely, for the Construction of Utter Pradesh State Road Transport Corporation Bus station and workshop Bhinga in district Sharwasti.

2. The Governor being of the opinion that the provisions of sub-section (1) of section 17 of the said Act, are applicable to said land inasmuch as the said land is urgently required, for the Construction of Uttar Pradesh State Road Transport Corporation Bus station and workshop Bhinga in district Shrawasti and that in view of the pressing urgency it is as well necessary to eliminate the delay likely to be caused by an enquiry under section 5-A of the said Act, the Governor is further pleased to direct under sub-section (4) of section 17 of the said Act that the provisions of section 5-A of the Act shall not apply.

अनुसूची

SCHEDULE

जिला District	परगना Pargana	ग्राम Village	गाटा संख्या Plot no.	अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) Approximate Area (In Hectares)	
1	2	3	4	5	
श्रावस्ती Shrawasti	भिनगा Bhinga	पूरे खैरी Pure Khairi	5	0.549	
			24	0.018	
			25	0.014	
			26	0.533	
			27	0.125	
			28	0.124	
			29	0.125	
			30	0.522	
			योग Total	2.010	हेक्टेयर Hectares

किस प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :–जिला श्रावस्ती में मुख्यालय भिनगा में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशन एवं कार्यशाला भिनगा के निर्माण हेतु।

For what purpose required :– For the Construction of Uttar Pradesh State Road Transport Corporation Bus Station and workshop Bhinga in district Shrawasti.

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थल नक्शा श्रावस्ती के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

NOTE :– A site plan of the land may be inspected in the Office of the Collector Shrawasti.

आज्ञा से,
माजिद अली,
प्रमुख सचिव।

By order,
MAJID ALI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 165 राजपत्र (हि०)–2010–(359)–597 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1 सा० परिवहन–2010–(360)–100 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।